कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रॉकः— 779 / FP/UK/Road/7806/2014 दिनॉकःदेहरादून 01 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय—सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः— जनपद—देहरादून के अन्तर्गत दमन से देसऊ मोटर मार्ग (12.675 किमी0) के निर्माण हेतु 5.868 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों के लिये ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का पत्रांक—8बी / यू.सी.पी. / 06 / 16 / 2016 / एफ0सी0 / 1346 दिनॉक 25—11—2016.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयॉकित वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता के पत्रांक 594 / 12—1 दिनांक 21—08—2017 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित की जा रही हैः—

2— शर्त संख्या—1 के अनुपालन में सूचित करना है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके दस वर्षों तक रख—रखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग के द्वारा आगणित धनराशि ₹ 27,03,315.00 (₹ सत्ताईस लाख तीन हजार तीन सौ पन्द्रह) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित मौजा अतल्यौ की 11.739 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कर दिया गया है। **(संलग्नक—1)**

3. शर्त संख्या—2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि ₹ 38,56,262.00 (₹ अड़तीस लाख छप्पन हजार दो सौ बासठ) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक—2)**

4. शर्त संख्या—3 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया गया है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य दर में यदि बढ़ोत्तरी की जाती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी बचनबद्ध है। **(संलग्नक—3)**

5. शर्त संख्या—4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं सभी निधियां प्रतिपूर्ति निधि प्रबन्धन तथा योजना प्रबन्धन (CAMPA) के कॉरपोरेशन बैंक में online portal के माध्यम से जमा कर दी गई है। **(संलग्नक—4)**

6. शर्त संख्या—5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की बचनबद्धता प्रेषित की गयी है कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात जहाँ—जहाँ सम्भव होगा, सड़क के दोनों किनारों एवं सेन्ट्रल वर्ज (Central verge) पर प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख—रेख में वृक्षारोपण करेगा। **(संलग्नक—5)**

7. शर्त संख्या—6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किये गये संशोधित लागत—लाभ विश्लेषण एवं जिला प्रोफॉईल डिटेल्स को ऑन लाईन पार्ट—1 एवं पार्ट—2 में यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता द्वारा कार्यालय को उपलब्ध करायी गई अनुपालन आख्या की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि विषयॉकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करना चाहें।

संलग्नः—यथोपरि

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :— 779 / **FP/UK/ROAD/7806/2014 दिनांकित।**
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार, मुख्यालय कालसी।

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

O/C